न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 04/2019 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2019/00006

1. जयसुख राम पुत्र श्री भागीरथ राम जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. परमा पुत्री पोकर राम
2. रामी पत्नी सुरजा राम पुत्र पोकर राम
3. नरसी राम
4. सागर राम
5. बजरंग लाल
6. सुशीला
7. अणची
8. पान्ची
9. द्रोपदी
10. राधा
11. छोटी

पुत्र व पुत्रिया सुरजा राम

12. मोहनी पुत्री श्री नानूराम जाति बिश्नोई निवासी रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
13. स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री दिनेश गहलोत — अभिभाषक अपीलांट
श्री विवेक शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तो 11
श्री बहादूरराम सुथार — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 12

निर्णय

दिनांक 27.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नोखा के निर्णय दिनांक 18.12.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— वादगत भूमि ग्रम रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर के खसरा नंबर 23 में रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 245 में रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा कुल तादादी 41 बीघा 14 बिस्वा तथा ग्राम राही कितरासर के खसरा नंबर 23 में 65 बीघा 09 बिस्वा भूमि मुसमी पोकरराम, नानूराम पिसरान सिमरथाराम कौम बिश्नोई के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त चली आ रही है। सेंटलमेंट के दौरान उक्त ग्राम रासीसर बड़ा बास के पुराना खसरा नंबर 23 के नये खसरा नंबर 77 तादादी 4.68 हैक्टयर व पुराना खसरा नंबर 245 का नया खसरा नंबर 484 में तादादी 5.68 हैक्टयर दर्ज हुआ। इसी प्रकार ग्राम किरतासर के पुराना खसरा नबंर 23 के नये खसरा नंबर 92 में 16.19 हैक्टयर खसरा नंबर 318/94 में 0.07 हैक्टयर व खसरा नंबर 320/93 में 0.13 हैक्टयर कुल 16.39 हैक्टयर दर्ज हुआ। अपीलांट के पिता नानूराम का देहान्त होने के बाद सुरजाराम पुत्र पोकरराम ने वादगत भूमि वाके रासीसर बड़ा बास की भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 2 दिनांक 05.08.95 व ग्राम किरतासर की भूमि का जरिये नामांतरकरण संख्या 4 दिनांक 22.08.95 एक कूटरचित वसीयत के आधार नामांतरकरण दर्ज करवा लिया। जिससे व्यथित होकर नानूराम की दूसरी पत्नी वस्तुदेवी ने उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर ने उक्त नामांतरकरण संख्या 2 दिनांक 05.08.95 एवं नामांतरकरण संख्या 4 दिनांक 22.08.95 को निरस्त कर तहसीलदार नोखा को पुनः रिमाण्ड किया कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट् के पिता ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर उक्त प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 10.11.99 में उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर के निर्णय को बहाल रखते हुए पुनः रिमाण्ड किया कि वस्तुदेवी जिन्दा है या फौत हो चुकी है, इस तथ्य की जांच करें, यदि वास्तुदेवी फौत हो चुकी है तो उसके वारिसान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं वसीयत की विस्तृत जांच कर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण में निर्णय करते हुए उक्त वादगत भूमि का आधा हिस्से का नामांतरकरण वसीयत के आधार पर सुरजाराम पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के उक्त आदेश दिनांक 18.12.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि पूर्वज मंगलाराम पुत्र सुखराम की भूमि रही है फिर सिमरताराम पुत्र मंगलाराम तत्पश्चात पोकर राम नानूराम पुत्रगण सिमरताराम के नाम से अंकित चली आ रही थीं। नानूराम अनपढ़ व ग्रामिण तथा भोली प्रकृति का व्यक्ति था जिसमें कोई वसीयत पोकरराम व सुरजाराम के नाम से नही लिखी कथित वसीयत वर्जी एवं षंडयंत्र पूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई जांच नही की थी कि वादगत भूमि नानूराम की पैतृक भूमि थी या नही और ना ही अपने निर्णय में इस तथ्य कोई निर्णय नही किया गया है, जबकि कानूनन वसीयत सिर्फ स्वयं उपार्जित भूमि की जा सकती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त बीकानेर के निर्णय में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नानूराम की पत्नी बस्तु देवी जिवित है अथवा नही की बाबत् जांच करे, परन्तु अधिनिस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई विचार एवं निर्णय किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपर न्यायालय के आदेशों के विपरित होने के कारण जैर अपील निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध किया गया है जबकि कानूनन मृत व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया जा सकता, इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों के उतराधिकारी को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय पारित किया है जो कानून का घौर उलंघन है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन आदेश बिना किसी पक्ष की सुनवाई किये तथा बिना कोई सूचना दिये अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निर्णय दिनांक 18.12.2018 निरस्त फरमाया जावें, अपीलांट के नाम इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया है कि अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने बाबत् सर्वप्रथम तो कोई लोकस स्टैण्डाई ही हासिल नही है इसलिए इसी आधार पर अपील प्रथत दृष्टया ही खारिज फरमाई जावें। अपीलांट की अपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 18.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई है अपील की मियाद कानून 30 दिन तय है इसलिए स्पष्ट रूप से अपील मियाद बाहर है जिसके साथ में अपीलांट ने धारा 5 प्रार्थना–पत्र बाबत छुट मियाद हेतु पेश नही किया इस लिए उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण भी काबिल खारिज योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलांट अपने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आप को नानूराम पुत्र सिमरथाराम पत्नी वस्तु देवी का वसीयत के आधार पर वारिस है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विस्तृत रूप से पढने मात्र से भली–भाती दुध का दुध व पानी का पानी अपने आप अलग हो जाता है इसलिए अपीलांट का आराजी मुतनाजा की भूमि में हित नही होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई भी हासिल नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 12 के पति/पिता स्व. सुरजाराम पुत्र पोकरराम के हक में नानूराम पुत्र सिमथाराम ने जो वसीयत नानुराम ने दिनांक 22.08.95 को अपने कोई औलाद नही होने के कारण अपने भतीजे सुरजाराम पुत्र पोकरराम के हक मे पंजिबद्ध करवाई थी जिस अपीलांट द्वारा आजतक किसी सिविल न्यायालय मे चैलेज नही किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जांच मे पाया कि तथाकथित मोहनी देवी नानूराम पुत्र सिमरथाराम की पुत्री नही होकर उसके नाते आई अन्य महिला जिसका नाम भी बस्तेदेवी था उसकी पुत्री थी उक्त बस्तेदेवी के दो पुत्रीया थी जिसमें एक का नाम नोहनी एवं दूसरी का नाम सुरती था वास्तव में नानूराम पुत्र रिमरथाराम ने अपने जीवनकाल में दौ शादियां की थी संयोगवंश दोनों पत्नियों का नाम वस्तुदेवी था जिसमें से पहली पत्नी बस्तुदेवी जो नानूराम को छोड़कर जा चुकी थी तथा स्वास्थ विभाग में कार्यरत थी जिसने किसी गंगानगर निवासी गुरूचरण से शादी कर ली, जिसके द्वारा उसे एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम सुनीता जो सरकारी अध्यापिका है। जयसुखराम बस्तुदेवी का भतीजा है जिसने जयसुखराम पुत्र भागीरथराम जो अन्य अपील में अपीलांट है उसने बस्तुदेवी की अपंजीकृत वसीयत जो तथाकथित फर्जी एवं कुटरचित बना रखी हैं। मकान व खेत की भूमि को हडपने बाबत बना रखी है। इस अपंजीकृत वसीयत में कथित वस्तुदेवी ने अपने आपको स्व. नानूराम की एकमात्र वारिस बताकर वादगत भूसम्पति जयसुखराम के नाम वसियत करना लिखा। उक्त जयसुखराम अपीलांट है यह पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि कथित बस्दुदेवी की पुत्री सुनिता जरिये इस्तागासा इंतर्गत धारा 156 3 सीआपीसी पुलिस थाना नोखा में मुकदमा इस आश्य का दर्ज करवाया कि उक्त जयसुखराम व अन्य ने कपटपूर्वक उसकी सम्पति हडपने की नियत से उसकी माता वस्तुदेवी के फर्जी हस्ताक्षर कर दिनांक 16.03.2010 को कुटरचित दस्तावेज वसीयत तैयार किया है पुलिसथाना नोखा में दर्ज अपराधिक प्रकरण नंबर 158/2011 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120वी भारतीय दण्ड संहिता की जांच में तथ्य प्रकट होते है कि परिवादिया सुनिता की माता वस्तुदेवी अभियुक्त जयसुखराम की रिस्ते में भुआ लगती थी जयसुखराम अपने आप को वस्तुदेवी का उतराधिकारी घोषित करवाने का वाद भी सक्षम न्यायालय में कर रखा है अधीनस्थ न्यायालय ने जांच

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के बाद लिखा है कि उक्त अपंजीकृत वसीयत विलेख में कथित बस्तुदेवी ने ग्राम रासीसर बड़ा व किरतासर वाली भूमियें को विवादित व मामला राजस्व न्यायालयों मे चलने का उल्लेख किया है इसके अलावा इस वसीयत मोहनपुराबास, नोखामंडी में रिहायसी मकान, ग्राम संगरिया में एक मकान एवं एक दुकान होने का उल्लेख किया गया है उक्त वर्णित वसियत में कथित बस्तुदेवी ने अपनी सुनिता पुत्री होने का उल्लेख किया है जो सरकारी नोकरी मे है। इस वसीयत में उल्लेखित सम्पतियां वसियतकर्ता की स्वअर्जित सम्पति हो सकती है परन्तु ग्राम रासीसर बड़ा व किरतासर स्थित खेत की सम्पतियां कथित बस्तुदेवी के नाम दर्ज नही है। इसलिए स्वअर्जित होने का सवाल ही नही होता है। जयसुखराम द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसियत विलेख की प्रकाणिकता संदिग्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 मोहनी देवी जो अपने आप को तथाकर्थित नानूराम एवं वस्तुदेवी की पुत्री बतला रही है वास्तव में वह पुत्री तो बस्तुदेवी निवासी कुदसु की है किन्तु उसके पिता का नाम नानूराम पुत्र सिरथाराम नही होकर बगडावतराम पुत्र जगाराम की पत्नी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके केवल मात्र दो पुत्रीयां मोहनी व सुरती थी और 15–20 वर्ष की आयु में थी जो वास्तव में बगडावताराम की जायज सन्ताने है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा द्वारा उक्त वादगत भूमियों हेतु वस्तुदेवी की फोत होने व उसके जायज वारिसान की जांच की पुष्टि एवं सुरजाराम के हक में नानुराम पुत्र सिमरथाराम द्वारा निष्पादित पंजिबद्ध वसीयत बाबत पुर्ण जांच की जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह व कोई प्रश्न शेष नही रह गया तथा सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व सबुत के गवाहों लेकर उनसे जिरह करके विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 11 का निवेदन है कि अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई हासिल नही होने तथा मियाद बाहर होने व किसी प्रकार का कोई कानूनी हक हासिल नही होने के कारण चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त फरमाई जावें।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा द्वारा अपीलांअ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूतों को अनदेखा करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 11 के पिता के नाम से वादगत भूमि में जो नानूराम पुत्र सिमरथाराम का आधा हिस्सा था, का नामांतरण वसीयत के आधार पर दर्ज करने के आदेश विधि व विधि द्वारा स्थापित सिद्धोतों के विपरीत जाकर दिनांक 18.12.18 को पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों नामांतरणों का अलग अलग निर्णय पारित किया जाता था जिसे बिना फाईन्डिंग किये एक साथ मृतक अपीलांट पोकरराम व मृतक वस्तुदेवी रेस्पोडेन्टान के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना विधि व न्याय के सिद्धांतों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के समक्ष गवाहन के द्वारा यह साबित किया था कि नानूराम ने अपने जीवनकाल मे कोई वसीयत निष्पादित नही करवायी तथा नानूराम की पत्नी वस्तुदेवी की अपीलांट एकमात्र वारिस है, इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में गवाहान द्वारा साबित किया था कि सुरजाराम द्वारा जो वसीयत करवाई गई थी वह कूटरचित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय सुरजाराम के प्रभाव में आकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का तथा अपीलांट के वकील द्वारा की गई बहस का अपने निर्णय मे कही अंकन नही किया ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अपने निर्णय में हवाला दिया। आदेश अधिनस्थ न्यायालय स्पीकिंब आदेश की श्रेणी में नही है। उक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में न्यायिक प्रक्रिया की हत्या की है। उक्त आदेश, आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2018 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा निरस्त किया जावे। अपीलांट नानूराम की एकमात्र वारिस होने के नाते उक्त वादगत भूमि का आधा हिस्सा है, कि अपीलांट एकमात्र वारिस होने के कारण अपीलांट के नाम से नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें। अन्य कोई अनुतोष अपीलांट के पक्ष में हो दिलाया जावे।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा ने ग्रम रासीसर बड़ा बास के खसरा नंबर 23 में रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 245 में रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा कुल तादादी 41 बीघा 14 बिस्वा तथा ग्राम राही किरतासर के खसरा नंबर 23 में 65 बीघा 09 बिस्वा भूमि मैट्रिक प्रणाली में सर्वे होने के पश्चात ग्राम रासीसर बड़ा वास के पुराना खसरा नंबर 23 के नये खसरा नंबर 77 तादादी 4.68 हैक्टयर व पुराना खसरा नंबर 245 का नया खसरा नंबर 484 में तादादी 5.68 एवं ग्राम किरतासर के पुराना खसरा नवंर 23 के नये खसरा नंबर 92 में 16.19 हैक्टयर खसरा नंवर 318/94 में 0.07 हैक्टयर व खसरा नंबर 320/93 में 0.13 हैक्टयर कुल 16.39 हैक्टयर भूमि का आधा हिस्सा नानूराम पुत्र सिमरथाराम की वसीयत के आधार पर सुरजाराम पुत्र पोकरराम के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा ने उक्त प्रकरण में निर्णय करने से पूर्व पूर्ण

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जांच कर, वस्तुदेवी की कथित वारिस मोहनी देवी को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर और वसियत पत्र में अंकित गवाह से वसीयत की सत्यता प्रमाणित करवाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2018 पारित किया है। तहसीलदार नोखा ने उक्त अपीलाधीन निर्णय करने से पूर्व अपीलांट को भी सुना था और वास्तुदेवी की जो वसीयत अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, उसमे उक्त वादगत भूमि का भी उल्लेख किया गया है परन्तु वसीयत करते समय उक्त वादगत भूमि वस्तूदेवी के नाम दर्ज नहीं थी और स्वअर्जित हो नही सकती, जिसके आधार पर ही तहसीदार नोखा ने अपीलांट को प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया था जो विधि के अनुसार उचित है। तहसीलदार नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2018 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि तहसीलदार नोखा के निर्णय दिनांक 18.12.2018 को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2018 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर